🔰आवश्यक जानकारी🔰
08/03/2025
🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️
शिक्षा विभाग में डीपीसी एवं सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों को काउंसलिंग माध्यम से पदस्थापन बाबत जानकारी:-
1. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग (ग्रुप -2) आदेश दिनांक 27.01.2025 के अनुसार है।
काउंसलिंग माध्यम से रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया :-
1. पदवार, विषयवार ग्रामीणों व रिक्तियों की अलग अलग सूचियां तैयार की जावेगी
2. पदवार, विषयवार रिक्तियों के निर्धारण हेतु विद्यालयों में (अध्यापक लेवल प्रथम, द्वितीय/ वरिष्ठ अध्यापक/प्राध्यापक) अधिकतम से कम रिक्तियों के प्रतिशत के क्रम में कुल आशार्थियों की संख्या का 150% तक रिक्त पदों की सूचियां तैयार की जावेगी (जैसे कुल आशार्थी 2500 है तो रिक्ति के पद 3750 दर्शाया जाएगा)
3. उक्त सूचियों में नामांकन के आधार पर कुल आशार्थियों की 120% रिक्तियों को नामांकन के घटते क्रम में चिन्हित किया जावेगा (जैसे कुल आशार्थी 2500 है तो 3000 स्कूलों को चिन्हित किया जावेगा)
4. पदवार/विषयवार 120% से अधिक होने पर शहरी/ग्रामीण अनुपात मे निर्धारित की जावेगी।
5. कुल आश्रितों (मानी गई संख्या 2500) की संख्या की तुलना में यदि उपलब्ध रिक्तियों 120% है अथवा अधिक है तो कुल आशार्थियों की अधिकतम 120% (उदाहरण - 3000) रिक्तियां ही प्रदर्शित होगी।
6. कुल आशार्थियों के 120% से कम हैं तो या समान है तो सभी विद्यालय के रिक्तियां प्रदर्शित होगी।
7. काउंसलिंग से पदस्थापन केवल स्पष्ट रिक्त पद पर होगी।
काउंसलिंग में वरीयता :-
1. दिव्यांग आशार्थी
2. विधवा परित्यक्ता महिलाएं
3. असाध्यरोग से पीड़ित व्यक्ति
4. एकल महिला अभ्यर्थी
5. भूतपूर्व सैनिक
6. अन्य महिला
7. अन्य शेष अभ्यर्थी
सीधी भर्ती की स्थिति में वरीयता का निर्धारण मेरिट के आधार पर होगा

डीपीसी से काउंसलिंग वरीयता वर्षानुसार होगा, अर्थात् काउंसलिंग के उपरोक्त बिंदु 1 से 7 के अंतर्गत चयन वर्ष के आधार पर चयन तिथि के क्रम में वरिष्ठता के आधार पर होगा यानी एक ही वर्ष में चालू वर्ष ओर गत वर्ष की DPC साथ होने पर दोनों का पदोन्नति काउंसलिंग निर्धारण अलग अलग होगा।

नरेंद्र सिंह सालासर
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
DEO SEC CHURU

🌹Pm info Admin🌹
🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

PM Info